संख्या-2/2017-499 ई-1/तेरह-2017-499(2)/2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 01 मई,2017

विषय:-प्रदेश के जनपदों में तहसील स्तर पर गठित नवीन अपराध निरोधक क्षेत्रों के गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-577/पी0एस0 विविध/अपराध निरोधक क्षेत्र/पुनर्गठन/2011, दिनांक 13 जून,2016 एवं अ0शा0प0सं0-2521/पी0एस0/विविध/अपराध निरोधक क्षेत्र/पुनर्गठन/2011, दिनांक 16-3-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिनमें प्रदेश के 75 जनपदों में नवसृजित अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों सहित कुल 339 अपराध निरोधक क्षेत्रों के गठन पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार आबकारी अधिनियम,1910 की धारा-10(2)(डी) में दिये गये प्राविधानों के तहत प्रदेश के 75 जनपदों में तात्कालिक प्रभाव से नवसृजित अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों सहित कुल 339 अपराध निरोधक क्षेत्रों/सेक्टरों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

3- तद्नुसार कृपया नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।